119

संख्या 2084/XVIII(II)/12–18(68)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 9 अक्टूबर, 2012

विषयः–जनपद चम्पावत में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु 14 नाली 12 मुट्ठी अर्थात् 0.295 है0 भूमि आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाये) को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–3745/सात–भू0अ0/2012 दिनांक–25.07.2012 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद चम्पावत में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित ग्राम खर्ककार्की प0 क्षेत्र मुडियानी तहसील व जनपद चम्पावत के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–09 के खेत संख्या–4895 व 5105 मध्ये 14 नाली 12 मुट्ठी अर्थात कुल 0.295 है0 भूमि, जो श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, (होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें) उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या-2084 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।